राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4198/2025

भंवरलाल सैन

–अपीलार्थी

बनाम

अति मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 19.09.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कम अति ब्लाक शिक्षा अधिकारी प्रथम कार्यालय मुख्य ब्लांक शिक्षा अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा में पदस्थापित था। जहां से अपीलार्थी का स्थानान्तरण समकक्ष प्रधानाधीन राजकीय उच्च मा० विद्यालय सरदार शहर (211307) बीकानेर में करीब 350 किमी दूर कर दिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की माताजी जो कि 80 वर्षीय है जो कि गम्भीर बीमारी से पीडित है जिसका इलाज निरनतर जारी है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का स्थानान्तरण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा में पदस्थापित था जहां से अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रधानाचार्य समकक्ष राजकीय उच्च मा० विद्यालय सरदार शहर 211397 बीकानेर में करीब 350 किमी दूर कर दिया जबकि अपीलार्थी पंचायत राज विभाग को अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित कियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8 (ा) के अवहेलना में जारी किया गया है। राजस्थान अन्तर्गत क्रिया कलाप नियम 2011 में स्पष्ट अंकित है कि एक पंचायत समिति को दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण जिला परिषद की स्थाई स्थापना समिति के द्वारा किया जावेगा तथा एक पंचायत समिति से एक ही पंचायत समिति में स्थानान्तरण पंचायत समिति की स्थापना समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा। उक्त प्रावधान होने के बावजूद उक्त प्रावधानों के विपरित जाकर आलोच्य आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के उल्लघंन में जारी किया गया

है इस प्रकार उक्त आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है प्रतिबन्ध अवधि में अति आवश्यक होने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकता है जबकि उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कोई अनुमति नहीं ली गई। माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3814/2025 सुरेश चन्द पारीक बनाम शिक्षा में पारित आदेश दिनांक 21–8–20245 में भी माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये अपीलार्थी का प्रकरण भी इसी प्रकरण के समान ही है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 3–8–2025 (अनुलग्नक–1) को निस्तर फरमाया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.08.2025 (अनुलग्नक–1) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आलौच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1911 के नियम 8 (ा) की अनुपालना में जारी किया गया है। साथ ही जिला परिषद की स्थापना समिति की बिना अनुमति से जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य आदेश को निस्तारित करने का निवेदन किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान लोक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, ब्लॉक आसींद जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है, जिसका स्थानान्तरण प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधासर बीकानेर में किया गया है। यह स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज के अतिरिक्त सेवाएं नियम 1911 के नियम 8 (iii) अनुसार राज्य सरकार सक्षम है। अपीलार्थी राजस्थान पंचायती राज विभाग का कर्मचारी नहीं होने के कारण अपीलार्थी पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 लागू नहीं होते है। हम आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में कोई नियम विरूद्धता एंव दुर्भावना नहीं पाते है।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य